RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg. No. MCS/170/2016-18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ३, अंक ३०] शुक्रवार, ऑगस्ट ११, २०१७/श्रावण २०, शके १९३९ [पृष्ठे ११, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ५३

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक ११ अगस्त २०१७ ई. को. पुरःस्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :—

L. A. BILL No. LIX OF 2017.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA PUBLIC TRUSTS ACT.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ५९ सन् २०१७।

महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक ।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिये, भारत गणराज्य के अडसठवें वर्ष में, एतदद्वारा, निम्न अधिनियम, अधिनियमित किया जाता है :–

१. (१) यह अधिनियम, महाराष्ट्र लोक न्यास (द्वितीय संशोधन) अधिनियम कहलाए । संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभण।

(२) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, नियत करें ।

सन् १९५० की धारा २ में संशोधन ।

२. महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा २ में,—

(क) खण्ड (२) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :–

" (२ क) " लाभार्थी " का तात्पर्य, इस अधिनियम और न्यास के गठन के अनुसार बनाये गये न्यास के विलेख या योजना में स्पष्ट किये गये न्यास के किसी उद्देश के अनुसार किसी भी लाभ के लिये हकदार किसी व्यक्ति से है और कोई अन्य व्यक्ति से नहीं है ; "। ;

(ख) खण्ड (४) के स्थान में, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :–

" (४) " न्यायालय " का तात्पर्य, बॉम्बे के उच्च न्यायालय, से है ; "।

सन् १९५० का २९ की धारा ५ में संशोधन ।

३. मूल अधिनियम की धारा ५ की, उप-धारा (२ क) में, खण्ड (ग) के स्थान में, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :–

" (ग) जो, इस विधि द्वारा स्थापित किन्ही विश्वविद्यालय से या निमित्त राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय की विधि की उपाधि धारण करता हैं और पूर्त संगठन में ५वर्षों से कम नहीं के लिये कार्य किया हैं और पूर्त आयुक्त द्वारा विहित किये गये नियमों के अनुसार संचालित की जानेवाली विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा की ऐसी उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् वरिष्ठ लिपिक या स्टेनो-टायपिस्ट के श्रेणी से अनून पद पर उत्तीर्ण की है। "।

सन् १९५० का २९ की धारा २२ में संशोधन ।

४. मूल अधिनियम की धारा २२ की,–

(क) उप-धारा (१) में, निम्न परंतुक, जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

" परंतु, उप या सहायक पूर्त आयुक्त, समाधानी होने पर कि, अनुबद्ध अवधि के भीतर परिवर्तन का रिपोर्ट न करने के लिये पर्याप्त कारण हैं, रिपोर्टिंग न्यासी द्वारा लागत के भुगतान के अध्यधीन, जो लोक न्यास प्रशासन निधि में जमा कराया जायेगा, परिवर्तन का रिपोर्ट करने के लिये नब्बे दिनों की अवधि विस्तारित कर सकेगा। ";

(ख) उप-धारा (२) में, निम्न परंतुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

" परंतु, न्यासियों और प्रबंधकों के नाम और पतों में और न्यासी के पदों के उत्तराधिकार में परिवर्तन होने के मामले में, उप या सहायक आयुक्त, पंद्रह कार्य के दिनों के भीतर परिवर्तन प्राथमिक रूप से स्वीकार्य करेगा और ऐसी सूचना के प्रकाशन के दिनांक से तीस दिनों के भीतर ऐसे परिवर्तन के लिये आक्षेप बुलाने के लिये, सूचना जारी करेगा :

परंतु आगे यह कि, यदि, तीस दिनों के उक्त अवधि के भीतर आक्षेप प्राप्त नहीं होते हैं, तब प्रथम परंतुक के अधीन अंतिम रूप से परिवर्तन स्वीकृत करने का आदेश अंतिम होगा और उसमें की प्रविष्टी, विहित रित्या में धारा १७ के अधीन रजिस्टर में रखी जायेगी :

परंतु, यह भी कि, यदि तीस दिनों की उक्त अवधि के भीतर आक्षेप प्राप्त होते हैं, तब उप या सहायक आयुक्त, विहित रीति में ऐसी जाँच संचालित करेगा और निष्कर्षों का अभिलेख इस धारा की उप-धारा (३) के द्वारा यथा उपबंधित, आक्षेपों को दर्ज करने की दिनांक से तीन महीनों के भीतर रखेगा। ";

(ग) उप-धारा (३) में, " या आवेदन " शब्द अपमर्जित किये जायेंगे ;

सन् १९५० का २९ की धारा ३५ में संशोधन ।

५. मूल अधिनियम की धारा ३५ की, उप-धारा (१) में, द्वितीय परंतुक के पश्चात्, निम्न परंतुक, जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

" परंतु, यह भी कि, यदि, द्वितीय परंतुक के अधीन किन्ही अन्य रित्या में, रकम निवेशित करने के लिये अनुमति का मंजूरी आदेश प्राप्त करने के लिये, पूर्त आयुक्त को, कोई लोक न्यास आवेदन करता है,

तब, पूर्त आयुक्त, ऐसे आवेदन की प्राप्ति के दिनांक से तीन महीनों के भीतर ऐसा आवेदन विनिश्चित करेगा और जहाँ ऐसा करना व्यवहार्य नही हैं, वहाँ पूर्त आयुक्त उसी के लिये कारणों को अभिलिखित करेगा। ”।

६. मूल अधिनियम की धारा ३६ की,– सन् १९५० का २९ की धारा ३६ में संशोधन ।

(क) उप-धारा (१) में, खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्न परंतुक, जोडा जायेगा, अर्थात् :–

“ परंतु, पूर्त आयुक्त, अंतरण, जिसके लिये खण्ड (क), (ख) या (ग) के अधीन पूर्व मंजूरी दी गई हैं, के पूर्ण होने के पूर्व, वह जैसा उचित समझे, उसके अधीन अधिकथित शर्तों को उपांतरित कर सकेगा :

परंतु आगे यह, कि, यदि, ऐसी शर्ते किसी संविदा या वहन के कार्यान्वयन के लिये समय सीमा की हैं, तब, ऐसी शर्त के उपांतरण के लिये आवेदन, ऐसे अनुबद्ध समय के अवसान के पूर्व किया जायेगा। ”;

(ख) उप-धारा (१) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :–

“ (२ क) पूर्त आयुक्त, इस अधिनियम के अधीन ३० वर्षों से अधिक अवधी के लिये कोई पटट्ा मंजूर नही करेगा। ”;

(ग) उप-धारा (२) में, निम्न परंतुक जोडा जायेगा, अर्थात् :–

“ परंतु, कोई भी मंजूरी, ऐसी मंजूरी प्रदान करने से पूर्व, पूर्त आयुक्त पर, छल द्वारा, ऐसी मंजूरी प्राप्त की गई हैं, के आधार के अलावा, वहन के कार्यान्वयन के पश्चात्, इस धारा के अधीन रदद् नहीं की जायेगी। ”;

(घ) उप-धारा (४) के अधीन, निम्न उप-धारा, जोडी जायेगी, अर्थात् :–

“ (५) उप-धारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, अपवादात्मक और असाधारण परिस्थितियों में, जहाँ पूर्व मंजूरी नहीं दी गई है, वह उप-धारा (१) के अधीन, अपेक्षित हैं, जिसके परिणाम स्वरूप, न्यास अनेक व्यक्तियों का निकाय या वास्तविक क्रयकर्ता विपत्ति में आये, तब पूर्त आयुक्त, या निम्न परिस्थितियो में न्यासीयों द्वारा पूर्व-प्रभाव से न्यास की संपत्ति का अंतरण मंजूर कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि, —

(क) जहाँ आपाति परिस्थिति हैं, जो ऐसा अंतरण उचित सिद्ध करें,

(ख) उक्त अंतरण के लिये अप्रतिरोध की आवश्यकता थी,

(ग) न्यास के हित में ऐसा अंतरण आवश्यक था,

(घ) संपत्ति प्रतिफल के लिये अंतरित की गई थी जो, विशेषज्ञों द्वारा प्रमाणित करने के लिये इस प्रकार अंतरित संपत्ति के प्रचलित बाजारमूल्य से, कम नही था।

(ङ) बेहतर किमत प्राप्त करने के लिये न्यासीयों की ओर से युक्तियुक्त प्रयास किये गये हैं,

(च) संपूर्ण अंतरण के भाग के दौरान, न्यासीयों का कार्य **वास्तविक** था और उक्त अंतरण से उन्होने कोई भी लाभ, चाहे धनसंबंधी या अन्यथा हो, प्राप्त नहीं किया हैं, और

(छ) अंतरण रजिस्ट्रीकृत लिखत के कार्यान्वयन द्वारा प्रभावित हुआ था, यदि, तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन, दस्तावेज रजिस्टर करना आवश्यक हो। ”।

७. मूल अधिनियम की धारा ३६ क, की,– सन् १९५० का २९ की धारा ३६ क में संशोधन ।

उप-धारा (३) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :–

“ (३ क) उप-धारा (३) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, अपवादात्मक और असाधारण परिस्थितियों में, जहाँ उप-धारा (३) के अधीन मंजूर न देना अपेक्षित हैं, जिसके फलस्वरूप, न्यास, लाभधारी या **वास्तविक** अन्य पक्ष, विपत्ति में आते हो, तब पूर्त आयुक्त, पूर्व-प्रभाव से, न्यासीयों द्वारा, राष्ट्रीयकृत बैंक या अनुसूचित बैंक से रकम उधार लेने की मंजूरी दे सकेगा। ”।

सन् १९५० का २९ की धारा ४१ में संशोधन ।

८. मूल अधिनियम की धारा ४१ की, उप-धारा (२) में, " धारा ७२ के उपबंधों के अध्यधीन, आदेश " शब्दों और अंको के स्थान में, " आदेश " शब्द रखा जायेगा।

सन् १९५० का २९ की धारा ४१ क में संशोधन ।

९. मूल अधिनियम की धारा ४१ क की, उप-धारा (१) में, निम्न परंतुक, जोडा जायेगा, अर्थात् :-

" परंतु, यदि, उप-धारा (१) के अधीन निदेश प्राप्त करने के लिए किसी न्यास के किसी न्यासी द्वारा कोई आवेदन किया गया हैं, तब पूर्त आयुक्त, उसकी प्राप्ति के दिनांक से तीन महीनों के भीतर ऐसा आवेदन निश्चित करेगा और यदि, ऐसा करना व्यवहार्य नहीं है, तब, पूर्त आयुक्त, उसी के लिये, कारणों को अभिलिखित करेगा। "।

सन् १९५० का २९ की धारा ४१ घ में संशोधन ।

१०. मूल अधिनियम की धारा ४१ की, उप-धारा की,–

(क) उप-धारा (२) के स्थान में, निम्न उप-धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :-

" (२) (क) जब पूर्त आयुक्त, उप-धारा (१) के अधीन कार्यवाही करना प्रस्तावित करता हैं, तब, पूर्त आयुक्त, न्यासी या व्यक्ति, जिनके विरूद्ध, तब ही जब वह **प्रथमदृष्ट्या** उक्त व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये साधन प्राप्त होते हैं, कार्यवाही करना प्रस्तावित है की, सूचना जारी कर सकेगा।

(ख) न्यासी या व्यक्ति, जिसे खण्ड (क) के अधीन सूचना जारी की गई है, सूचना की प्राप्ति के दिनांक से पंद्रह दिनों के भीतर उसका जबाब प्रस्तुत करेगा।

(ग) यदि, व्यक्ति, खण्ड (क) के अधीन जारी सूचना का जबाब देनें में विफल होता है या पूर्त आयुक्त के ध्यान में आता हैं कि, जवाब समाधान योग्य नहीं हैं, तब, पूर्त आयुक्त, जवाब देने या, यथास्थिति, जवाब देने में चूँक के पंद्रह दिनों के भीतर उक्त व्यक्ति के विरूद्ध प्रभार विरचित करेगा, और ऐसे प्रभार चुकाने का अवसर उक्त व्यक्ति को देगा और उसके विरूद्ध प्रस्तुत किये गये सबूतों को ध्यान में लेने के पश्चात् और उसके पक्ष में, प्रभार विरचित करने के दिनांक से तीन महीनों के भीतर अधिहरण, हटाना या रद्द करने का आदेश मंजूर करेगा। यदि पूर्त आयुक्त को सूचना जारी करना, प्रभार विरचित करना और अंतिम आदेश, अनुबद्ध समय में मंजूर करना व्यवहार्य नहीं होता हैं, तब, वह उसी के लिये कारणों को अभिलिखित कर सकेगा।

(घ) अधिहरण, हटाने या रद्दकरण का आदेश, में, न्यासी के विरूद्ध विरचित प्रभार, उसका स्पष्टीकरण, यदि कोई हो और प्रत्येक प्रभार पर उपलब्धि, उसके कारणों के साथ, निश्चित करेगा। ";

(ख) उप-धारा (५), अपमार्जित की जायेगी;

(ग) उप-धारा (६) के स्थान में, निम्न उप-धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :–

" (६) उप-धारा (१) के अधीन बनाये गये आदेश के विरूद्ध न्यायालय में अपील की जायेगी, यदि, जैसे कि, ऐसा निर्णय, जिला न्यायालय के निर्णय, मूल अधिकारिता के न्यायालय जिसमें अपील की गई हैं, के रूप में, आदेश के दिनांक से साठ दिनों के भीतर लिया गया हो। ";

सन् १९५० का २९ की धारा ४१ ङ में संशोधन ।

११. मूल अधिनियम की धारा ४१ ङ की, उप-धारा (४), (६) और (७), अपमार्जित की जायेगी।

सन् १९५० की धारा ४७ में संशोधन ।

१२. मूल अधिनियम की धारा ४७ की, उप-धारा (५) के स्थान में, निम्न उप-धारा रखी जायेगी, अर्थात् :-

" (५) उप-धारा (२) के अधीन, पूर्त आयुक्त के आदेश के विरूद्ध न्यायालय में अपील की जायेगी, यदि, जैसे कि, ऐसा निर्णय जिला न्यायालय के निर्णय, मूल अधिकारिता के न्यायालय, जिसमें अपील की गई है, के रूप में, आदेश के दिनांक से साठ दिनों के भीतर लिया जायेगा, जो अन्यथा अंतिम होगा। "।

१३. मूल अधिनियम की धारा ५० में,– सन् १९५० का २९ की धारा ५० में संशोधन ।

(क) खण्ड (२) के स्थान में, निम्न खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :–

" (दो) जहाँ, लोक न्यास से जुडी या जुडे जाने के लिये तथाकथित संपत्ति को पुनः प्राप्त करने या अनुसरण करने या उसकी कार्यवाही के लिये या न्यासी, पूर्व-न्यासी, संक्रमण-ग्राही या किसी अन्य व्यक्ति, किंतु लोक न्यास, अतिचारी, पट्टेधारी या संक्रामण-ग्राही को प्रतिकूल रुप से धारण करनेवाले व्यक्ति नहीं, से कार्यवाही के लिये ऐसी संपत्ति के लिये निदेश या निर्णय आवश्यक है,";

(ख) खण्ड (४) में, उप-खण्ड (ज), अपमार्जित किया जायेगा :

(ग) तृतीय परंतुक के पश्चात, निम्न **स्पष्टीकरण**, जोडा जायेगा, अर्थात् :–

" **स्पष्टीकरण**.–इस धारा में, " न्यायालय " का तात्पर्य, बृहत् मुंबई में, शहर सिविल न्यायालय और अन्य जगह पर, जिला न्यायालय, से हैं। "।

१४. मूल अधिनियम की धारा ५० क, की,– सन् १९५० का २९ की धारा ५० क में संशोधन ।

(क) उप-धारा (१), (२) और (३) में, पार्श्व टिप्पणी समेत " पूर्त आयुक्त " शब्द जहाँ कहीं वे आये हों, के स्थान में, " सहायक या उप-पूर्त आयुक्त " शब्द रखे जायेंगे।

(ख) उप-धारा (४) के स्थान में, निम्न उप-धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :–

" (४) उप-धारा (१) या उप-धारा (२) के अधीन विरचित और उप-धारा (३) के अधीन उपांतरित योजना, धारा ७० के अधीन पूर्त आयुक्त के निर्णय के अधीन, धारा ५० के अधीन न्यायालय के निर्णय के अधीन समाप्त या बदली गयी योजना के रूप में, प्रभावी होगी। "।

१५. मूल अधिनियम की धारा ५१ की,– सन् १९५० का २९ की धारा ५१ में संशोधन ।

(क) उप-धारा (२) के स्थान में, निम्न उप-धारा, रखी जायेगी अर्थात् :–

" (२) यदि, पूर्त आयुक्त, उप-धारा (१) के अधीन वाद के संस्थापन के लिये सहमति देने से इन्कार करता हैं, तब, ऐसी सहमति के लिये आवेदन करने वाले व्यक्ति, न्यायालय में अपील कर सकेगा, जैसा कि यदि, ऐसा आदेश जिला न्यायालय द्वारा, जिससे, उक्त आदेश के दिनांक से साठ दिनों के भीतर अपील रखी गयी हैं, पारित निर्णय हैं, जो अन्यथा अंतिम होगी । ";

(ख) उप-धारा (४) अपमार्जित की जायेगी।

१६. मूल अधिनियम की धारा ५५ के स्थान में, निम्न धारा, रखी जायेगी अर्थात् :– सन् १९५० का २९ की धारा ५५ की प्रतिस्थापना । तत्सदृश।

" **५५** (१) यदि, उसे या अन्यथा किये गये किसी आवेदन पर, सहायक या उप-पूर्त आयुक्त की यह राय है कि,–

(क) मूल उद्देश जिसके लिए लोक न्यास सृजित था वह असफल हुआ है,

(ख) किसी लोक न्यास की किसी अतिरिक्त शेष राशि की आय उपयोग नहीं की गई है या उपयोग किये जाने की संभावना नहीं है;

(ग) किसी धार्मिक प्रयोजनों के लिए न्यास से अन्य लोक न्यास के मामले में, जिसके लिए लोक न्यास सृजित या लोक न्यासकर्ता का पूर्ण या भागतः मूल आशय या उद्देश्य कार्यान्वित करने के लिए लोक हित में इष्टकर, व्यवहार्य, वांछनिय, आवश्यक या उचित नहीं या और सम्पति या लोक न्यास; या उसके किसी भाग की आय, किसी अन्य पूर्त या धार्मिक उद्देश के लिए लागू होगी ; या

(घ) धारा १० से १३ में उल्लिखित किन्ही मामलों में या धारा ५४ के अधीन न्यास में रखी हुई **धर्मदाय** राशि के विनियोग के लिए पूर्त आयुक्त के निर्देश आवश्यक है तब, सहायक या उप-पूर्त आयुक्त जाँच करने के पश्चात्, समुचित आदेशों को पारित करेगा और पूर्त आयुक्त को रिपोर्ट करेगा।

(२) पूर्त आयुक्त, **स्वप्रेरणा** से या सहायक या उप-पूर्त आयुक्त की रिपोर्ट पर निर्देश दे सकेगा और ऐसे निर्देश देने में वह लोक न्यासकर्ता के मूल आशय या उद्देश, जिसके लिए न्यास सृजित था, प्रभावी होगा।

(३) पूर्त-आयुक्त, किसी अन्य पूर्त या धार्मिक उद्देश्यों के तत्सदृश लागू किये जाने के लिए लोक न्यास या उसके किसी भाग की सम्पति या आय का निदेश दे सकेगा। ऐसा करने में लोक न्यास के संबंध में पहले से ही पारित किसी डिक्री या आदेश के निबन्धनों या लोक न्यास के लिखत में अन्तर्विष्ट शर्तों को पहले से ही स्थायी या पहले से ही परिवर्तित किसी योजना बदलने के लिए पूर्त आयुक्त को विधिपूर्ण होगा।

(४) उच्च न्यायालय को इस धारा की उप-धारा (२) या यथास्थिति उप-धारा (३) के अधीन पूर्त आयुक्त द्वारा पारित निर्णय या आदेश के विरूद्ध कोई अपील की जायेगी, जैसा की यदि, ऐसा आदेश जिला न्यायालय द्वारा, जिससे उक्त आदेश के दिनांक से साठ दिनों के अधीन अपील रखी गई है, पारित निर्णय है, जो अन्यथा अंतिम होगा।".

सन् १९५० का २९ की धारा ५६ का अपमार्जन ।

१७. मूल अधिनियम की धारा ५६, अपमार्जित की जायेगी।

सन् १९५० का २९ की धारा ५६ क का अपमार्जन ।

१८. मूल अधिनियम की धारा ५६ क, अपमार्जित की जायेगी।

सन् १९५० का २९ की धारा ६८ में संशोधन ।

१९. मूल अधिनियम की धारा ६८ के खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्न खण्ड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :-

(ङ-१) उन्हें मुकदमेबाजी मुक्त करने के लिए लोक न्यास के बेहतर प्रशासन प्रोत्साहित करने और सुकर बनाने ;

(ङ-२) न्यासी का स्वीकृत रजिस्ट्रीकरण जो न्यास को प्रस्तुत है और अन्य न्यासीयों द्वारा प्रतिवेदित नहीं है और धारा २२ के अधीन इसे रिपोर्ट के रुप में देखें और उसकी आवश्यक जाँच करने के पश्चात् उसी के समान विनिश्चित करें;"

सन् १९५० का २९ की धारा ६९ में संशोधन ।

२०. मूल अधिनियम की धारा ६९ के,–

(क) खण्ड (ख) के स्थान में निम्न खण्ड रखा जायेगा, अर्थात् :-

" (ख) धारा २०, २२ और २८ के अधीन उप या सहायक आयुक्त के तथ्यों से अपीलों पर विचार करना और निपटना और धारा ५० क और ७९ के अधीन आदेश देने की शक्ति ;";

(ख) खण्ड (ड) अपमार्जित किया जायेगा ;

(ग) खण्ड (ढ) के स्थान में, निम्न खण्ड रखा जायेगा, अर्थात् :-

" (ढ) न्यास राशि के तत्सदृश प्रयुक्ति के लिए न्यासीयों को सूचना देने की शक्ति और उसी के समान समुचित आदेश पारित करने ;";

सन् १९५० का २९ की धारा ७० में संशोधन ।

२१. मूल अधिनियम की धारा ७० की, उप-धारा (१) के,–

(क) खण्ड (ग-१) के पश्चात, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :–

" (ग-२) धारा ५० क के अधीने आदेश ;";

(ख) खण्ड (घ) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :-

" (घ-१) धारा ७९ की उप-धारा (१) के अधीन कोई आदेश ;".

सन् १९५० का २९ की धारा ७०क में संशोधन ।

२२. मूल अधिनियम की धारा ७०क की, उप-धारा (२) के, खंड (ख) में, " या ७१ या धारा ७२ के अधीन एक आवेदन " शब्द अपमार्जित किये जायेंगे।

२३. मूल अधिनियम की धारा ७१, अपमार्जित की जायेगी। सन् १९५० का २९ की धारा ७१ का अपमार्जन ।

२४. मूल अधिनियम की धारा ७२, अपमार्जित की जायेगी। सन् १९५० का २९ की धारा ७२ का अपमार्जन ।

२५. मूल अधिनियम की धारा ७३ में, निम्न परंतुक, जोडा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९५० का २९ की धारा ७३ मे संशोधन ।

" परंतु, इस अधिनियम के अधीन जाँच करते समय, उप या सहायक पूर्त आयुक्त, अभिसाक्षी की केवल प्रतिपरीक्षा के अध्यधीन शपथपत्रों के प्ररूप में साक्ष्य को अभिलिखित करेगा, यदि उसके द्वारा समुचित मामले में अनुमति दी गई है।"।

२६. मूल अधिनियम की धारा ७४क के स्थान में, निम्न धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :— सन् १९५० का २९ की धारा ७४क का प्रतिस्थापन।

" **७४** क. जब राज्य सरकार इस प्रकार के निदेश, पूर्त आयुक्त, संयुक्त पूर्त आयुक्त या लेखा निदेशक या किसी उप या सहायक पूर्त आयुक्त को देता है तो, वह दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ की धारा ३४५ से ३४६ के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय के समझे जायेंगे ।"। दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ की धारा १९५, ३४० से ३४९ के अर्थान्तर्गत पूर्त आयुक्त, संयुक्त पूर्त आयुक्त, उप सहायक पूर्त आयुक्त आदि को सिविल न्यायालय समझा जायेगा।

२७. मूल अधिनियम की धारा ७७ के स्थान में, निम्न, रखा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९५० का २९ की धारा ७७ का प्रतिस्थापना।

" **७७.** इस अधिनियम या नियमों के उपबंधों के अधीन देंय सभी रकमें, यदि अदा नही की गई है तो, किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भू राजस्व के बकायें के रूप में वसूलिय होंगी ।"। अधिनियम और नियमों के अधीन रकमों की वसूली।

२८. मूल अधिनियम की धारा ७९ के स्थान में, निम्न धारा, रखी जायेगी अर्थात् :— सन् १९५० का २९ की धारा ७९ का प्रतिस्थापन।

" **७९.** (१) कोई प्रश्न, चाहे न्यास अस्तित्व में हो या न हो और ऐसा न्यास लोक न्यास हो या विशिष्ट संपत्ति ऐसे न्यास की संपत्ति है तो, उसका विचार इस अधिनियम द्वारा यथा उपबंधित उप या सहायक पूर्त आयुक्त द्वारा किया जायेगा।

(२) धारा ७० के अधीन पूर्त आयुक्त को सहायक या उप पूर्त आयुक्त के ऐसे निर्णय के विरूद्ध कोई अपील स्वीकार्य नहीं होगी ।"।

२९. मूल अधिनियम की धारा ७९ ग ग में, उप-धारा (३) के स्थान में, निम्न धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :— सन् १९५० का २९ की धारा ७९ ग ग का प्रतिस्थापना।

" कोई अपील, उप या सहायक पूर्त आयुक्त द्वारा उप-धारा (२) के अधीन यदि प्रतिभूति प्रदान करने के आदेश के विरूद्ध पूर्त आयुक्त को किया गया होगा तो स्वीकार्य नहीं होगा जिसका निर्णय अंतिम होगा और ऐसे अपील को धारा ७० के उपबंध लागू होंगे ।"।--

सन् १९५० का २९ की धारा ८२ की प्रतिस्थापना।

३०. मूल अधिनियम की धारा ८२ के स्थान में, निम्न धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :-

" ८२. महानगरीय मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की श्रेणी से निम्न कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों का परीक्षण करेगा ।"।

सन् १९५० का २९ की धारा ८४ में संशोधन।

३१. मूल अधिनियम की धारा ८४ की, उप-धारा (२) में,

(क) खंड (ण) अपमार्जित किया जायेगा।

(ख) खंड (प) अपमार्जित किया जायेगा।

सन् १९५० का २९ की अनुसूची ख में संशोधन।

३२. मूल अधिनियम की सलग्न अनुसूची ख में,

(क) धारा ५०क से संबंधित प्रविष्टि में,

" पूर्त आयुक्त " शब्दों के स्थान में, " सहायक या पूर्त आयुक्त " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) धारा ५१(१) से संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्न प्रविष्टि, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :–

" **५१**(२) पूर्त आयुक्त के निर्णय के विरूद्ध न्यायालय को अपील १०० रुपयों **";**

(ग) धारा ५५ से संबंधित प्रविष्टि में, " न्यायालय " शब्दों के स्थान में, " सहायक या उप-पूर्त आयुक्त " शब्द रखे जायेंगे ;

(घ) धारा ५६क से संबंधित प्रविष्टि, अपमार्जित की जायेगी ;

(ङ) धारा ७०(१) से संबंधित प्रविष्टि के, स्तंभ (२) में, " या धारा ५४ की उप-धारा (३) के अधीन आदेश " शब्दों, कोष्टकों और अंकों के स्थान में, " या धारा ५०क, धारा ५४ की उप-धारा (३) और धारा ७९ की उप-धारा (१) के अधीन, आदेश " शब्द, अंक, अक्षर और कोष्टक रखे जायेंगे;

(च) धारा ७१(१) से संबंधित प्रविष्टि, अपमार्जित की जायेगी ;

(छ) धारा ७२(१) से संबंधित प्रविष्टि, अपमार्जित की जायेगी ;

(ज) धारा ७२(४) से संबंधित प्रविष्टि, अपमार्जित की जायेगी ।

संदेहों का निराकरण।

३३. संदेहों के निराकरण के लिए एत्द्द्वारा यह घोषित किया जाता हैं कि, महाराष्ट्र लोक न्यास (संशोधन) अधिनियम, २०१७ (जिसे इसमें आगे " सन् २०१७ का उक्त संशोधन अधिनियम " कहा गया है), द्वारा यथा संशोधित महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम में न होकर भी, उक्त संशोधन अधिनियम २०१७ के प्रारंभण की दिनांक को किन्ही सिविल न्यायालय के समक्ष लंबित आवेदनों और अपीलों को प्रभावी करेगी; और ऐसे आवेदन या अपील सन् २०१७ के उक्त संशोधन अधिनियम के प्रारंभण की दिनांक के पूर्व बने रहे विधि के अनुसरण में ऐसे न्यायालय द्वारा सुलझाये जायेंगे या निपटाये जायेंगे। सन् २०१७ का महा.।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य।

महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम (सन् १९५० का २९) महाराष्ट्र राज्य में सार्वजनिक धार्मिक और पूर्त न्यास के प्रशासन के लिए विनियमित और बेहतर उपबंध करता है। उक्त अधिनियम के अधीन, राज्य में ७ लाख न्यास से अधिक न्यास रजिस्ट्रीकृत है।

यद्यपि, उक्त अधिनियम में न्यासों को विनियमित करने के लिए व्यापक उपबंध अन्तर्विष्ट है, यह ध्यान में आया है कि, अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अधीन कार्यवाहियाँ अनियमित दीर्घ अवधि के लिए शेष लंबित है और उसके द्वारा सार्वजनिक धार्मिक और पूर्त उद्देश्यों की प्रगति में बाधा आ रही है।

२. राज्य सरकार अधिनियम के अधीन प्राधिकारियों के समक्ष अधिक लम्बित मामलों, विशेषतः रिपोर्ट, परिवर्तन अधिक विशेषतः निर्विरोध परिवर्तन रिपोर्ट, उक्त अधिनियम की धारा १७ के अधीन रखे गये रजिस्टर में प्रविष्टियाँ करने से संबंधित है। इसलिए, सरकार सहायक या उप पूर्त आयुक्त द्वारा परिवर्तन रिपोर्ट और उक्त अधिनियम के अधीन अन्य प्राधिकारियों के समक्ष कार्यवाहियाँ भी शीघ्र निपटान के लिए महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित करने के लिए श्री. ए. जे. ढोलकिया, पूर्त आयुक्त (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता के अधीन और श्री. एस. बी. सावले, पूर्व आयुक्त और अन्य अधिकारियों से मिलकर एक समिति गठित की गई थी, देखिए आदेश दिनांकित १३ जनवरी, २०१६। समिति ने, अपना रिपोर्ट दिया है और उक्त अधिनियम में व्यापक संशोधन सुझावित किये हैं।

३. यह अधिकतर ध्यान में आया था कि उक्त अधिनियम अपीलों, आवेदनों या पुनरीक्षण के अनुक्रम से प्राधिकरणों और न्यायालयों के अधिक्रम सृजित किये है। उदाहरण के तौर पर पूर्त आयुक्त के आदेशों, जिला न्यायालयों, महाराष्ट्र राजस्व अधिकरण और विभागिय आयुक्त के समक्ष चुनौती के अध्यधीन दिये गये है। अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों और मंचो के बाहुल्य जब जिला न्यायाधीश की श्रेणी के न्यायिक अधिकारियों की पर्याप्त संख्या, है तब पूर्त आयुक्त और संयुक्त पूर्त आयुक्त के कृत्यों का निर्वहन अनुचित और असंगत पाया गया है। विदर्भ युवा कल्याण संस्था बनाम संदीप राम मेघे, (सिविल पुनरीक्षण क्रमांक ८४/२०१५) के मामले में, निबन्धन में यह अवलोकित किया था कि, " विशेषतः जब जिला न्यायाधीश की श्रेणी के न्यायिक अधिकारी संयुक्त पूर्त आयुक्त के रुप में अध्यक्षता करता है तब सिविल न्यायालय, जिला न्यायालय, महाराष्ट्र राजस्व अधिकरण द्वारा विवादों के कुछ प्रकारों के न्यायनिर्णयन अनुमत करना कुछ असंगत है जिससे समस्या उत्पन्न हो रही है। उच्च न्यायालय ने यह सिफारिश की है कि, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० की तर्ज पर, जहाँ विवादों के सभी प्रकारों पर सहकारी न्यायालयों या अपील न्यायालयों द्वारा विनिश्चय किया जाता है, वहाँ महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक है।

४. उक्त अधिनियम प्रशासन संगठन के भीतर प्राधिकरणों द्वारा कार्यवाहियों के शीघ्र और तेज निपटान के उद्देश्य से और बहुविध प्राधिकरणों या मंचों से कार्य करने और समय-सीमाओं के प्रावधान द्वारा अधिनियम के अधीन प्राधिकरणों के समक्ष कार्यवाहियाँ अधिकतर सरलीकृत करने और समर्थ उपबंधों को सम्मिलित करने की दृष्टि से, उक्त अधिनियम के उपबंधों में यथोचित संशोधन करना आवश्यक पाया गया था और अन्य **बातों के साथ-साथ** निम्न संशोधन प्रस्तुत किये गये है :—

(क) यह पाया गया था कि पूर्त संगठन पर की जिला न्यायालय की पर्यवेक्षी अधिकारिता कार्यवाहियों की अंतिमता लंबी बनाने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा था, धारा २(४) के अधीन " न्यायालय " की परिभाषा, " बम्बई उच्च न्यायालय" से संशोधित करने का प्रस्तावित है। तद्नुसार, धारा ७२ के अधीन पूर्त आयुक्त के आदेशों के विरुद्ध आवेदन के उपाय अपमार्जित करने का प्रस्तावित है।

(ख) परिवर्तन रिपोर्ट के मामले में,—

(एक) धारा २२ की उप-धारा (१) में, परन्तुक जोडकर रिपोर्ट परिवर्तन में ९० दिनों की अवधि का विस्तार अनुमत करने के लिए समर्थ उपबंध करना ;

(दो) धारा २२ के अधीन रिपोर्ट परिवर्तन की लंबितता का तेज निपटान और रोकने के लिए बढावा देने के लिए अनुबद्ध अवधि के भीतर रिपोर्ट परिवर्तन पर निर्णय अनिवार्य करने, और रिपोर्ट परिवर्तन के अनन्तिम स्वीकृति के लिए यंत्रणा भी मुहैया करने और निर्विरोध मामलों में परिवर्तन के अनन्तिम स्वीकृति के अंतिम आदेश जोडने के लिए उप-धारा (२) में कतिपय परन्तुकों को जोडने का प्रस्तावित है।

(ग) सार्वजनिक न्याय सम्पत्ति के अन्तरण और निपटान के लिए मंजूरी देते समय, अधिरोपित शर्तों के उपांतरण करने और कपट के आधार को छोडकर अभिहस्तांतरण के निष्पादन के पश्चात् मंजूरी देने के आदेश को विलम्बित चुनौती पर निर्बंधन डालने के लिए पूर्त आयुक्त को समर्थ करने के लिए धारा ३६ में उपबंध करना।

(घ) जहाँ पूर्व मंजूरी के अभाव के परिणाम अत्याधिक विपत्ति में आपवादिक और असाधारण स्थिति में धारा ३६ और ३६क के अधीन **कार्योत्तर** मंजूरी देने के लिए पूर्त आयुक्त से प्राधिकारी विनिहित करने।

(ड) धारा ४१क (१) के अधीन निदेशों को लेने के लिए आवेदन विनिश्चित करने के लिए समय-सीमा का प्रावधान करने।

(च) धारा ४१घ के अधीन न्यासीयों के निलंबन, हटाने और पदच्युति की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्रक्रिया सरलीकृत करने और उसके समान समय-सीमा का प्रावधान करने।

(छ) धारा ५०क के अधीन योजना ढाँचा बनाने या उपांतरण करने के लिए प्राधिकारी सहित सहायक या उप-पूर्त आयुक्त को विनिहित करने और पूर्त आयुक्त को अपील के अध्यधीन आदेश करने।

(ज) न्यास की आय और सम्पति के तत्सदृश आवेदन के मामले में जिला न्यायालयों की पर्यवेक्षकीय और सलाहकार अधिकारिता सहित मार्ग निकालने के लिए और सभी संबंधितों में धारा ५५ के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पूर्त आयुक्त को शक्तियाँ देना।

(झ) महाराष्ट्र राजस्व अधिकरण और विभागिय आयुक्त के समक्ष कार्यवाही दूर करने के लिए, उपर्युक्त निवेशन, अपमार्जन और प्रतिस्थापन के आनुषंगिक उक्त अधिनियम की अनुसूची ख समेत विभिन्न धाराओं मे आनुषंगिक संशोधन प्रस्तावित है।

५. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

देवेंद्र फडणवीस,

मुंबई, मुख्यमंत्री।

दिनांकित ११ अगस्त २०१७।

प्रत्यायुक्त विधानसंबंधी ज्ञापन

प्रस्तुत विधेयक में विधायी शक्ति के प्रत्यायोजनार्थ, निम्नलिखित प्रस्ताव अन्तर्ग्रस्त हैं, अर्थात् :—

खंड १(२).—इस खंड के अधीन, राज्य सरकार को **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, जिस दिनांक को यह अधिनियम प्रवृत्त होगा उसे नियत करने की शक्ति प्रदान की गई है।

खंड ३.—इस खंड के अधीन, जिसका आशय, महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम की धारा ५ की उप-धारा (२क) में खंड (ग) प्रतिस्थापित करना है जिसमें पूर्त आयुक्त को सहायक पूर्ण आयुक्त के पद के लिए आवेदन करनेवाले पात्र व्यक्ति के लिए विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा का संचालन करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, जो इस निमित्त विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय की विधि की उपाधि धारण करता है और ऐसी उपाधि प्राप्त करने के बाद पूर्त संगठन में ५ वर्षों से कम नहीं के लिये कार्य करता है और वह वरिष्ठ लिपिक या स्टेनो-टायपिस्ट से निम्न श्रेणी से भिन्न का नहीं होता है ।

खंड ४.—इस खंड के अधीन, जिसका आशय, उक्त अधिनियम की धारा २२की उप-धारा (२) में, परंतुकों को जोड़ना है, जिसमें, राज्य सरकार को नियमों द्वारा वह रीति विहित करने की शक्ति प्रदान की गई है जिसमें सहायक या उप-पूर्त आयुक्त द्वारा जाँच की जायेगी और नामों के परिवर्तन संबंधी की और न्यासीओं के पतों की या संबंधित रजिस्टर में न्यासी के पद के उत्तराधिकार के ढंग की प्रविष्टी की जायेगी ।

२. विधायी शक्ति के प्रत्योजन के लिए ऊपर उल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरूप के हैं ।

(यथार्थ अनुवाद)

हर्षवर्धन जाधव,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य ।

विधान भवन :

मुंबई,

दिनांकित ११ अगस्त, २०१७ ।

डॉ. अनंत कळसे,

प्रधान सचिव,

महाराष्ट्र विधानसभा ।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.